प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 –कैम्प कोट – चक राजासर

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

सीमा देवी सुथार बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : **88 RTA** प्रकरण संख्या 535 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
2[illegible].06.2023	वादी ने प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 116 / 106 व खाता स0 295 / 265 में वादीया का नाम सीमादेवी उर्फ देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण दर्ज है जो की गलत है वादीया का वास्तविक व सही नाम सीमा देवी सुथार पत्नी लक्ष्मीनाराण है जो कि समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में दर्ज है। वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की चक देईदासपुरा के खाता स0 116 / 106 व 295 / 265 में प्रार्थीया का नाम सीमादेवी उर्फ देवी पत्नी लक्ष्मीनाराण के स्थान पर सीमा देवी सुथार पत्नी लक्ष्मीनारायण किया जाना उचित है। वादीया के नाम के संबंध में पुरूषोतम कुमार कन्दोई निवासी नोहर एवं लक्ष्मीनाराण सुथार पुत्र भैराराम सुथार जाति सुथार निवासी चक राजासर के बयान लिये गये। वादीया को सुना गया वादीया ने निवेदन किया कि वादीया का सही नाम सीमा देवी सुथार पत्नी लक्ष्मीनाराण है जबकि राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 116 / 106 व 295 / 265 में वादीया का नाम सीमादेवी उर्फ देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण दर्ज है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम सीमा देवी सुथार पत्नी लक्ष्मीनारायण दर्ज है। अतः वाद वादीया तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा गवाहों के बयान एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 116 / 106 व 295 / 265 में दर्ज नाम सीमा देवी उर्फ देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सीमा देवी सुथार पत्नी लक्ष्मीनारायण के अंकन कि घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर वादीया द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वादीया की होगी। अगर किसी न्यायालय [illegible] आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : चक राजासर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – /2023

अनवान : –

1. सीमा देवी सुथार पत्नी लक्ष्मीनारायण निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955 प्र0स0 535 वर्ष 2023 निर्णय दिनांक 20.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वादीया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 116/106 व 295/265 में दर्ज नाम सीमा देवी उर्फ देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सीमा देवी सुथार पत्नी लक्ष्मीनारायण के अंकन कि घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर वादीया द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वादीया की होगी। अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 21/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक राजासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:31 IST
Reason: SelfAttested